न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1314–एक/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–7–10 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 108/अपील/2008–09.

1–राजेन्द्रसिंह पिता गजराजसिंह रघुवंशी
2–विरेन्द्रसिंह पिता गजराजसिंह रघुवंशी
निवासीगण ग्राम कडोलाखुर्द
तहसील व जिला धार म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मनीराम पिता थावर भील मृतक तर्फे वारिसगण
1–भारतसिंह पिता मनीराम भील,
2–हरिसिंह पिता छीतर भील
3–प्रहलाद पिता छीतर भील
4–लाखन पिता छीतर भील मृत वारिसगण
अ–श्रीमती कृष्णाबाई पति स्व0लाखन
ब–मुलकी पिता स्व0लाखन
स–कुलकी पिता स्व0लाखन
(ब)व(स) दोनों अव्यस्क तर्फे पालनकर्ता
माता श्रीमती कृष्णाबाई पति स्व0लाखन
सभी निवासी ग्राम कडोलाखुर्द तहसील व जिला धार

.....अनावेदकगण

श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 26–7–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी धार के समक्ष संहिता की धारा 71 एवं 72 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पिता एवं दादा द्वारा दिनांक 18–11–1961 को केशरसिंह पिता डॅकार एवं नन्दा पिता गंगाराम से ग्राम कडोलाखुर्द स्थित भूमि सर्वे नम्बर 213 रकबा 5111 (पोने छह बीघा) पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त कर लिया गया थां । वर्तमान में उक्त सर्वे नम्बर का नया सर्वे नम्बर 168 हो गया है और आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के किसी भाग को न तो विक्रय किया गया है और न ही दान दिया गया है । आवेदकगण द्वारा जब अपनी भूमि की नप्ती कराई गई तब नक्शे में रकबा कम पाया गया, अतः नक्शे में हुई त्रुटि को संशाधित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 1/सी–129/05–06 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 8–9–2006 को आदेश पारित कर नक्शे में संशोधन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 26–2–2009 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–7–2010 से द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–7–10 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई थी, जिसका उल्लेख उनके द्वारा आदेश में तो किया गया है, परन्तु उन पर विवेचना की जाकर विस्तार से निष्कर्ष नहीं निकाला गया है । यदि अपर आयुक्त लिखित बहस पर विस्तार से विवेचना कर निष्कर्ष निकालते तब आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की जाना संभव नहीं होता ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदकगण को सूचना दिये आदेश पारित किया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से आवेदकगण का रकबा प्रभावित हुआ है और वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थे ।

(3) अपर कलेक्टर द्वारा मृतक मनीराम के वारिसों को अभिलेख पर नहीं लिये जाने के कारण अपील अवेट होना मानकर निरस्त की गई है, जबकि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत केवल मनीराम के विरूद्ध अपील उपशमित होना चाहिये थी, शेष के विरूद्ध नहीं ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 71 एवं 72 के अन्तर्गत नक्शा संशोधित किया गया है, जबकि उक्त धाराओं में नक्शा संशोधन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही संहिता की धारा 71 व 72 के अन्तर्गत नक्शा दुरूस्ती का प्रावधान है। उक्त धाराओं के अन्तर्गत केवल सर्वे कमांक एवं खाते के रकवे में दुरूस्ती की जा सकती है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जिसके कारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना हुई है । आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1961 में कय की जाकर निरन्तर काबिज है और आवेदक एवं अनावेदकगण की भूमि के मध्य मेढ़ बनी हुयी है, अतः इतनी लंबी अवधि के पश्चात् नक्शा दुरूस्ती करने से आवेदकगण के विरूद्ध अन्यायपूर्ण कार्यवाही हुई है ।

(6) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया गया है कि मिसल बन्दोबस्त में भूमि सर्वे कमांक 168 का पुराना सर्वे कमांक 213 है, जो 3 बीघा 3 विस्वा पर दर्ज है, इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रकवा बढाने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(7) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नक्शे में संशोधन करने के पूर्व प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं कराया गया है, जो कि पूर्णत अवैधानिक कार्यवाही है । उनके द्वारा अपर

आयुक्त व अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें मध्यप्रदेश शासन सहित पांच व्यक्तियों को अनावेदकगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 26–2–2009 को आदेश पारित कर इस निष्कर्ष के साथ अपील उपशमित मानकर निरस्त की गई है कि अनावेदक कमांक 1 की मृत्यु हो गई है और उसके वारिसान को अभिलेख पर लाने हेतु आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जो कि मान्य किये जाने योग्य नहीं है । व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत यदि एक से अधिक पक्षकार है और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तथा उसके वारिसान को अभिलेख पर नहीं लाया जाता है तो सम्पूर्ण प्रकरण उपशमित नहीं होकर केवल मृत व्यक्ति के विरूद्ध ही प्रकरण उपशमित होगा । स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया है, इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य आदेश है । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है और अपर कलेक्टर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य होने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करने के बावजूद अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में निष्कर्ष निकाला गया है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है । स्पष्ट है अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि दोनों अधीनस्थ अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त न्यायालयों के आदेश

निरस्त किये जाकर प्रकरण अपर कलेक्टर को गुणदोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–7–2010 तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–2–2009 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर